R.B.E. No. 235/2001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A) 99 RG 6-20

New Delhi, dated 6 .12.2001

The General Managers (P),
All Indian Railways, etc.
(As per the Standard list)

Sub: Promotion of railway servants against whom disciplinary/criminal proceedings, etc., are pending.

Attention of the railways is invited to instructions contained in Board's letters No. E(D&A) 92 RG6-149(A) and No. E(D&A) 92 RG6-149(B) both dated 21.1.93 which lay down the procedure that should be followed regarding the promotion of railway servants:-

(i) Who are under suspension;

(ii) In respect of whom a chargesheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; and

(iii) In respect of whom prosecution for a criminal charge is pending.

2. It has been decided that these instructions may also be followed at the time of consideration of railway servants for ad-hoc promotion.

3. Please acknowledge receipt.

V Vaidehi

(V. Vaidehi)
Jt. Director Establishment(D&A)II
Railway Board

(Contd...2/-)

No. E(D&A) 99 RG 6-20 New Delhi, dated 6.12.2001

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (with 35 spare copies)

2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spare copies)

4. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi. (6 copies)

6. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi. (6 copies)

7. M/S Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O. Box No. 2032.

For Secretary/Railway Board

Copy to: DOE(R)II with 2 spares, E(O)I, E(O)III, E(O)III (CC), ERB-I, ERB-D, ERB-V, E(Rep)I, II & III, Vig.-I, E(SCT)I & II E(G),PR & E(P&A) Branches of Board's Office for information.

भारत सरकार आर.टी.ई सं.235/2001

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डी एंड ए) 99 आर जी 6-20 नई दिल्ली, दिनांक : 6.12.01

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- उन रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति जिनके विरुद्ध अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाहियां की जा रही हैं.

बोर्ड के दिनांक 21.1.93 के पत्र सं. ई(डी एंड ए) 92 आर जी 6-149(ए) तथा पत्र सं. ई(डी एंड ए) 92 आर जी 6-149(बी) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिनमें रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अनुसरण की जाने वाली कार्यविधि निर्धारित की गई है :-

(i) जिन्हें निलंबित किया गया है,
(ii) जिनके संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया है तथा अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित हैं, तथा
(iii) जिनके संबंध में आपराधिक आरोप के लिए मुकदमा चल रहा है.

2. यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे कर्मचारी की तदर्थ पदोन्नति के समय भी इन अनुदेशों का अनुसरण किया जाए.

3. कृपया पावती दें.

वी. वैदेही
(वी. वैदेही)
संयुक्त निदेशक स्था(अनु एवं अपील) II
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(डी एंड ए) 99 आरजी 6-20 नई दिल्ली, दिनांक :6.12.01

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद और विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियां)
5. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियां)
6. मै. चहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली-110006, पी. ओ. बॉक्स नं. 2032.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.